रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1975/अग्रहायण 22, 1897
No. 331] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1975/AGRAHAYANA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1975

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Schedule for item 7 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

"7. Chromite (both lumpy non-friable ore and concentrates)—

(a) Containing 48% Cr_2O_3 and above.	Twenty rupees per tonne.
(b) Containing less than 48% Cr_2O_3 and more than 40% Cr_2O_3.	Twelve rupees per tonne.
(c) Containig less than 40% Cr_2O_3.	Six rupees per tonne."*

2. This notification shall come into force with effect on and from the 15th December, 1975.

[No. 1(21)/73-MVI(Vol. III)]

S. K. MUKHERJEE, Addl Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 584 (अ).—खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में मद संख्या 7 और उसकी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"7—क्रोमाइट (ढेलेदार व गैर-भुरभुरा अयस्क तथा सांद्र दोनों)—

(क)	48 प्रतिशत तथा अधिक क्रोमियम आक्साइड युक्त	बीस रुपये प्रति टन
(ख)	48 प्रतिशत से कम और 40 प्रतिशत से अधिक क्रोमियम आक्साइड युक्त	बारह रुपये प्रति टन
(ग)	40 प्रतिशत से कम क्रोमियम आक्साइड युक्त	छह रुपये प्रति टन"

2. यह अधिसूचना 15 दिसम्बर, 1975 को और इसी तारीख से लागू होगी।

[सं० 1(21)/73—खान-6 (खंड-3)]

एस० के० मुखर्जी, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975